

अभियुक्त

अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत निर्धारित ट्रेडों में जिनका विवरण निम्नवत है, में ट्रेड प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षुओं के चयन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण 01/02 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वोत्तर रेलवे, यांत्रिक कोचिंग डिपो/ मंडुवाडिह/छपरा में प्रशिक्षण केन्द्र होगा।

आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा पर (जिसका नमूना संलग्न है) भरकर सभी प्रमाण-पत्रों तथा फोटो को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति सहित निम्न पते पर **अन्तिम तिथि .15.06.2016 तक** भेज सकते हैं।

मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)

पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी-221002

1. क्षेत्रीय शिक्षता प्रशिक्षण निदेशालय/ कानपुर का पत्र सं RDK/Misc/2015-2016 दिनांक 22.02.2016 के द्वारा वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (समाडि) पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी को संदर्भित किया गया है कि निम्न ट्रेडों के विरुद्ध 19 प्रशिक्षुओं का चयन किया जाय जिनका प्रशिक्षण हेतु ट्रेडवाइज विवरण निम्नवत है :-

क्र. सं.	ट्रेड	सामान्य	अ. जा	अ. ज. जा.	अ. पि. व	विकलांग कोटा	कुल सं.	प्रशिक्षण अवधि
01.	फिटर	05	02	01	03	00	11	01 वर्ष
02.	कारपेंटर	01	00	00	01	00	02	02 वर्ष
03.	वैल्डर(गैस एंड इले.)	01	00	00	01	00	02	01 वर्ष
04.	ट्रीमर	01	00	00	01	00	02	01 वर्ष
05.	पेन्टर(जनरल)	01	00	00	01	00	02	01 वर्ष
कुल		09	02	01	07	00	19	

(नोट- कृपया सिर्फ इन्ही ट्रेडों के अभ्यर्थी आवेदन करें)

2. रेलवे बोर्ड के पत्र सं E(MPP)2009/6/14 दिनांक 06.10.2015 द्वारा निर्देशित शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र के साथ प्रोसोसिंग फीस के रूप में 100 रुपये का पोस्टल आर्डर संलग्न करना होगा। जो विसुमुलेधि, पूर्वोत्तर रेलवे, मोरखपुर के नाम से सम्बोधित होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं शारीरिक रूप से विकलांग/महिला उम्मीदवार को प्रोसोसिंग फीस से छूट प्रदान की गई है।
चयन मेरिट के आधार पर की जायेगी जो मैट्रिक परीक्षा तथा आई टी आई में प्राप्त अंको के आधार पर होगी।
3. शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता- हाईस्कूल (10+2) में 50% अनिवार्य है, के साथ आई.टी.आई. मान्यता प्राप्त संस्थान से (नेशनल कौंसिल आफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT)
4. आयु - अधिसूचना जारी होने की तिथि को 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच अर्थात् अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा में अ.जा./अ.ज.जा. को 05 वर्ष एवं अ.पि.व. को 03 वर्ष की छूट देय होगी।
5. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के प्रावधान के अनुसार मासिक वृत्तिका देय होगी।
6. नियुक्त प्रशिक्षु के रूप नियुक्ति अभ्यर्थी की आयु यदि 18 वर्ष से कम है तो उसके अभिवाक संविदा समझौता (एग्रीमेंट) कर लेंगे।
7. प्रशिक्षणार्थी अप्रेन्टिस एक्ट 1961 नियम के अन्तर्गत जो भी शर्तें होंगी, मानने के लिए बाध्य होगा तथा इस नियम के अन्तर्गत दी गई शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में प्रशिक्षण से वापस कर दिया जाएगा तथा इन्हें प्रशिक्षण पर व्यय किये गये धनराशि का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थी का आचरण उत्तम नहीं पाया गया तो प्रशिक्षण से वंचित कर दिया जायेगा। तथा उसे प्रशिक्षण का व्यय वहन करना पड़ेगा। इस में रेल प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा।
8. प्रशिक्षणार्थी को मात्र अप्रेन्टिस प्रशिक्षण पूरा/पास करने के आधार पर रेलवे में नौकरी प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।
9. आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि या कमी पर आवेदन रद्द कर दिया जायेगा। रद्द किये गये आवेदन पत्र की सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी।
10. किसी भी अभ्यर्थी का चयन रेल प्रशासन किसी भी समय रद्द कर सकता है और इस संबंध में कोई पत्राचार/साक्षात्कार मान्य नहीं होगा। रेल प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा।

11. डाक द्वारा भेजी गई सूचना नहीं मिलने पर भी रेल प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।
12. चयनित अभ्यर्थियों की सूची मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा तथा पूर्वोत्तर रेलवे के वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर प्रकाशित की जायेगी ।
13. यदि कोई अपने चयन के लिए किसी प्रकार की पैरवी स्वयं अथवा किसी अन्य माध्यम से करायेगा तो उसकी पात्रता रद्द कर दी जायेगी ।
14. रेलवे में कार्यरत कर्मचारी अपने आश्रित पुत्र/पुत्री का आवेदन पत्र एवं अपना घोषणा पत्र इस कार्यालय को सीधे भेज सकते हैं परन्तु चयन में किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं दी जायेगी ।
15. आवेदन पत्र को लिफाफा में बन्द करके " रजिस्टर्ड डाक से " मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी (ऊ प्र) 221002 के पते पर भेजना होगा । लिफाफे पर आवेदक का नाम एवं एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षु चयन हेतु आवेदन-पत्र अवश्य लिखा जाना चाहिए ।
16. फार्म जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी सभी अहर्ता पूर्ण करते हों अर्थात् हाईस्कूल आई टी आई का रिजल्ट प्रकाशित हो चुका हो, आवेदन भेज सकते हैं, अन्यथा उनके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
17. उक्त अधिसूचना पूर्वोत्तर रेलवे के वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है ।

संलग्नक - आवेदन पत्र का प्रारूप एवं घोषणा पत्र का प्रारूप ।

कृते मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)

वाराणसी

दिनांक..11.05.2016

सं.का/या/282/1/एक्ट अप्रे0

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महाप्रबंधक(कार्मिक)गोरखपुर ।
2. मंडल रेल प्रबंधक/ अपर मंडल रेल प्रबंधक /वाराणसी ।
3. सभी विभागाध्यक्ष, पूर्वोत्तर रेलवे , वाराणसी ।
4. मंडल रेल प्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे- लखनऊ एवं इज्जतनगर ।
5. कोचिंग डिपो/ मंडुवाडिह/ छपरा /पूर्वोत्तर रेलवे,वाराणसी।
6. मुख्य कारखाना प्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर ।
7. मुख्य कारखाना प्रबंधक, सिग्नल कारखाना/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर छावनी ।
8. समस्त सीनियर सेक्शन इंजीनियर /वाराणसी ।
9. मंडल मंत्री नरमू/ अजा/अजजा एसोसि./वाराणसी ।
10. जन संपर्क अधिकारी /वाराणसी - कृपया समाचार पत्रों में तथा रोजगार सूचना पत्र में प्रकाशन की व्यवस्था कराये ।
11. अन्य प्रति ।

कृते मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
वाराणसी

सेवा में,

मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
पूर्वोत्तर रेलवे,
वाराणसी।

नवीनतम पारपोर्ट आकार का
फोटो जो राजपत्रित अधिकारी
द्वारा सत्यापित हो।

विषय :- प्रशिक्षु प्रशिक्षण के चयन हेतु आवेदन पत्र।

संदर्भ :- इस कार्यालय की अधिसूचना सं का/या/282/1/एक्ट अप्रै0 दि. 11.05.2016

उपर्युक्त अधिसूचना के संदर्भ में प्रार्थी ट्रेड प्रशिक्षु/ प्रशिक्षण पद के लिए आवेदन करता है तथा यह भी घोषित करता है कि मेरे ऊपर अप्रेंटिस एक्ट एवं समय-समय पर परिवर्तित सभी नियम लागू होंगे।

(आवेदक द्वारा स्वयं भरा जाना है)

1. आवेदक का नाम :
2. पिता का नाम तथा व्यवसाय :
3. जन्मतिथि : अधिसूचना के दिन आयु वर्ष माह दिन
(राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
4. स्थाई निवास का पूरा पता :-
ग्राम /मुहल्ला : डाकखाना
जिला : प्रदेश पिन कोड
5. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ अपिब. के अभ्यर्थी है यदि हाँ तो स्पष्ट रूप से लिखें :-
(राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
जाति : उपजाति :
6. राष्ट्रीयता : धर्म :
7. विवाहित/अविवाहित :-
यदि विवाहित है तो क्या एक से अधिक जीवित पत्नी है : हाँ नहीं
8. शैक्षणिक योग्यता :-

परीक्षा	वर्ष	विद्यालय का नाम	विषय	प्रतिशत अंक	संबंधित बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम

9. तकनीकी योग्यता :-

परीक्षा	वर्ष	विद्यालय का नाम	ग्रेड	प्रतिशत अंक	नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग(NCVT)

उपरोक्त शैक्षिक योग्यता के प्रमाण-पत्र के लिए विद्यालय द्वारा जारी प्राप्तांक तालिका एवं प्रमाण-पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें।

10. अन्य योग्यताएँ :.....
(सत्यापित प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

11. दो स्थाई शारीरिक पहचान चिन्ह :-

a.

b.

12. दो चरित्र प्रमाण-पत्र राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।

13. यदि आवेदक के पिता रेल कर्मचारी है तो संलग्न प्रमाण-पत्र विभागीय राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर जमा करें।

14. संलग्नक :-

आयु प्रमाण-पत्र (हाईस्कूल की अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र), आई.टी.आई की अंकतालिका, एन.सी.वी.टी. का प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, एक पासपोर्ट साइज फोटो (राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो) एवं सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो को संलग्न करें।

दिनांक

.....
आवेदन का हस्ताक्षर

पूर्वोत्तर रेलवे

पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल में ट्रेड प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए पुत्र के चयन हेतु कार्यरत कर्मचारियों का घोषणा पत्र ।

1. कर्मचारी का नाम :
2. पी.एफ सं. :
3. पदनाम :
4. विभाग/शाखा :
5. नियुक्ति तिथि :
6. वेतनमान :
7. वर्तमान वेतन :
8. पुत्र का नाम :
- (जिसका आवेदन पत्र संलग्न किया है)
9. अन्य पुत्र/पुत्रियों का नाम जो रेलवे में सेवारत है :

मैं घोषण करता हूँ कि मेरा पुत्र श्री जिसका आवेदन पत्र संलग्न है, ने आवेदन पत्र में जो विवरण दिया है वह सत्य है यह मेरे ऊपर आश्रित है । यदि इसमें कोई बात असत्य पायी जाती है तो मैं इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूँगा ।

पूरा हस्ताक्षर

(नाम.....)

विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आवेदनकर्ता श्री
पी.एफ सं. पद कार्यालय/शाप/स्थान.....
दिनांक से नियमित रूप से कार्यरत है ।

(विभागीय अधिकारी का हस्ताक्षर)

नाम

पद.....

(मोहर)